इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

नई दिल्ली, 21 जून, 1995

सा.का.नि. 326—इं गां रा मु.वि. अधिनियम, 1985 (1985 का सं. 50) की धारा 25 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रबंध बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 22-3-95 के पत्र सं. एफ. 5-9/94-यू 1 डेस्क के माध्यम से प्राप्त कुलाधिपति के अनुमोदन से संविधि 10क के खंड (5) में संशोधन करता है । संशोधन के बाद संविधि 10क का खंड (5) निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :

"(5) बोर्ड आवश्यकतानुसार अपनी बैठक आयोजित करेगा, लेकिन वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित करना आवश्यक है । विद्यापीठ की बैठक के लिए बोर्ड के कुल सदस्यों का एक तिहाई भाग से कोरम बनेगा ।"

यह संशोधन 22-3-1995 से प्रभावी माना जाएगा ।

[सं. आईजी/प्रशा (जी)/एस टी 10क/89]
विनेश चंद्र पंत, कार्यकारी कुल सचिव

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

New Delhi, the 21st June, 1995

G.S.R. 326.—In exercise of the powers conferred on it under Section 25(2) of the IGNOU Act, 1985 (No. 50 of 1985), the Board of Management made an amendment to Clause (5) of Statute 10A with the approval of the Visitor conveyed vide MHRD Letter No. F. 5-9/94-U. 1 Desk dated 22-3-1995. Clause (5) of Statute 10A after amendment will read as follows :

"(5) The Board shall meet, as and when necessary, but shall meet at least twice a year. One third of the total membership of the Board shall form a quorum for a meeting of the School."

This amendment will be effective from 22-3-1995.

[No. IG/ADMN(G)/ST10A/89]
D. C. PANT, Acting Registrar

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जून, 1995

सा.का.नि. 327.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी, सिविल निर्माण स्कन्ध (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1988 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी, सिविल निर्माण स्कन्ध (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1995 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी, सिविल निर्माण स्कन्ध (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम 1988 की अनुसूची में, अधीक्षक संकर्म सर्वेक्षक (विद्युत)/अधीक्षक इंजीनियर (विद्युत), अधीक्षक संकर्म सर्वेक्षक (सिविल)/अधीक्षक इंजीनियर (सिविल), कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत) सर्वेक्षक संकर्म (विद्युत), कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)/सर्वेक्षक संकर्म (सिविल)/मुख्य इंजीनियर (सिविल) का इंजीनियर अधिकारी के पदों से संबंधित क्रम संख्यांक 2, 3, 5 और 6 तथा उनसे संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
2. अधीक्षक संकर्म सर्वेक्षक (विद्युत)/ अधीक्षक इंजीनियर (विद्युत)	3* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	3700-125-4700-150-5000 रुपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता